



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30112021-231482
CG-DL-E-30112021-231482

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 354]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 30, 2021/अग्रहायण 9, 1943

No. 354]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 30, 2021/AGRAHAYANA 9, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

(निवेश संवर्धन अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2021

फा.सं.पी-36017/256/2020-निवेश संवर्धन.— केंद्र सरकार ने 970 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ पांच वर्ष (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक) की अवधि के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम, निवेश संवर्धन स्कीम (एसआईपी), को जारी रखने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इस स्कीम में देश में निवेश को बढ़ावा देने; प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने एवं क्षमता निर्माण के संवर्धन संबंधी कई घटक और गतिविधियां शामिल हैं।

निवेश संवर्धन एक बहुआयामी कार्यनीतिक गतिविधि है जो मौजूदा और संभावित निवेशकों के लिए निवेश अवसर उपलब्ध कराने का कार्य करती है। यह देश में पूंजी, नौकरियों, कौशल, प्रौद्योगिकी के अंतर्वाह तथा उत्पादकता और नवप्रयोग को बढ़ावा देने पर भी जोर देती है। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए निवेश संवर्धन के लिए सतत प्रयास करने की आवश्यकता है जिनका अन्य क्रियाकलापों के साथ-साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सुधार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार, निवेश संबंधी सुविधा और लक्षित आउटरीच जैसे मुख्य क्रियाकलापों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) को देश में घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करने का कार्य सौंपा गया है। विभाग निवेश अंतर्वाह बढ़ाने के लिए अन्य के साथ-साथ कई सारी पहल और सुधार कार्य कर रहा है जैसे कि मेक इन इंडिया की शुरुआत करना, अग्रणी क्षेत्रों और उप-क्षेत्रों की सहायता करना, सचिवों का

अधिकार प्राप्त समूह और परियोजना विकास प्रकोष्ठ का गठन, जीआईएस आधारित औद्योगिक सूचना प्रणाली और राष्ट्रीय निवेश मंजूरी प्रकोष्ठ शामिल है। इन क्रियाकलापों को दिनांक 11 नवंबर 2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या आई 1(आई)/2004-आईपी और आईसी-IV के द्वारा शुरू की गई "निवेश संवर्धन हेतु स्कीम" के अंतर्गत सहायता प्रदान की जा रही है। इस स्कीम कार्यान्वयन की अंतिम अवधि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक थी।

चूंकि भारत वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का आकांक्षी है इसलिए एसआईपी जैसी स्कीमों का अर्थव्यवस्था के निवेश संबंधी माहौल को बढ़ावा देने में विशेष महत्व होता है। इस स्कीम के विजन से देश में घरेलू और विदेशी, दोनों प्रकार के प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि होने का माहौल तैयार होगा। यह कारगर ढंग से देश को 'ब्रांड इंडिया' के रूप में तैयार करने में भी सक्षम होगा। इसके अतिरिक्त, यह स्कीम निवेश प्राप्त करने में आने वाली प्रक्रियागत चुनौतियों को दूर करने के लिए देश में और देश के बाहर प्रचार-प्रसार के आयोजनों को बढ़ावा देगी। यह स्कीम विशेष कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से घरेलू और विदेशी निवेशकों को सहायता प्रदान करने में भी विभाग को सक्षम बनायेगी।

मौजूदा गति को बनाए रखने तथा उसमें तेजी लाने के लिए, 'निवेश संवर्धन स्कीम' के तहत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने हेतु गतिविधियों को अधिक फोकस और लक्ष्य के तरीके से जारी रखना महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान में रखते हुए, 'निवेश संवर्धन स्कीम' को निम्नलिखित घटकों के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है :

- (i) निवेशकों को लक्षित करना व सहायता करना – घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां
- (ii) निवेश संवर्धन – विस्तार और आउटरीच गतिविधियां
- (iii) परियोजना प्रबंधन गतिविधियां
- (iv) विदेश यात्रा

1. निवेशकों को लक्षित करना व सहायता करना – घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां

निवेश के सम्पूर्ण जीवनचक्र के दौरान निवेशकों की सहायता के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं का प्रावधान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नए तथा संभावित निवेशकों को अन्य प्रकार की सहायता के साथ-साथ स्थल विश्लेषण और पहचान, विनियामक संबंधी सलाह, केंद्र तथा राज्य स्तर पर परियोजना के अनुमोदन तथा मंजूरी संबंधी सहायता जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

निवेशकों की सुविधा के तहत प्रस्तावित अन्य गतिविधि निम्नलिखित हैं :-

- i. निवेशकों को लक्षित करना तथा देश के सेक्टर आउटरीच पर अधिक ध्यान देना
- ii. सीईओ फोरम और संयुक्त आयोग की बैठकें आयोजित करना
- iii. संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करने के लिए वित्तीय निवेशक संबंधी पहल
- iv. मेक इन इंडिया पहल के तहत बाजार प्रवेश सहायता कार्यक्रम के लिए विदेशों में भारतीय मिशन की (एमईएसपी) सहायता करना
- v. पीएमजी इन्वेस्ट इंडिया प्रकोष्ठ के जरिए परियोजनाओं की निगरानी करना
- vi. निवेश मंजूरी प्रकोष्ठ (राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली)
- vii. औद्योगिक क्लस्टरों को सहायता (औद्योगिक सूचना प्रणाली/औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली के जरिए /)
- viii. पूर्वोत्तर भारत के लिए निवेश सुविधा
- ix. एफडीआई निगरानी प्रकोष्ठ के जरिए एफडीआई संबंधी गतिविधियों की निगरानी
- x. सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह और परियोजना विकास प्रकोष्ठों के जरिए निवेश योग्य परियोजनाओं के पाइपलाइन की निगरानी और विकास करना
- xi. एक जिला एक उत्पाद के जरिए क्षेत्रीय परिवेश का विकास
- xii. घरेलू निवेशक प्रकोष्ठ के जरिए घरेलू निवेशकों की सहायता
- xiii. इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड के जरिए निवेश योग्य परियोजनाओं को सूचीबद्ध करना

2. निवेश संवर्धन - विस्तार और आउटरीच गतिविधियां

भारत को प्राथमिकता वाला निवेश स्थल बनाने तथा 'ब्रांड इंडिया' को बढ़ावा देने की गति को बनाए रखने तथा बढ़ाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू व्यवसायों हेतु निवेश सहायता प्रक्रिया में लगे हुए सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए समावेशी आयाम अपनाया जा रहा है। इन आउटरीच गतिविधियों का उद्देश्य नए भारत को वैश्विक निवेशकों के लिए प्राथमिकता वाले निवेश स्थल के रूप में स्थापित करना है।

संवर्धन क्षेत्र से संबंधित अन्य उप-लिखित हैं क्रियाकलाप निम्न-

- विस्तार और आउटरीच के लिए ब्रांडिंग और संचार कार्यनीतियों को लागू करना
- निवेश संवर्धन क्रियाकलापों और मेक इन इंडिया पहल के लिए विदेशों में भारतीय मिशनो की सहायता करना
- राज्य सरकारों का निवेश संवर्धन क्रियाकलापों में सहायता करना
- निवेश संवर्धन क्रियाकलापों के लिए उद्योग संघों की सहायता करना

“व्यावसायिक और निवेश संवर्धन कार्यक्रमों के आयोजन” संबंधी दिशानिर्देश www.dpiit.gov.in पर उपलब्ध हैं।

3. परियोजना प्रबंधन गतिविधियां

इस स्कीम के प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए, स्कीम के संयुक्त मूल्यांकन सहित परियोजना प्रबंधन संबंधी सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया जाता है। इसमें निवेश आकर्षित करने के लिए उद्योग/क्षेत्रगत रिपोर्टें तैयार करके क्षमता निर्माण करना तथा अभिनव परियोजनाओं के लिए संकल्पना दस्तावेज तैयार करना शामिल होगा। यहां इसका उद्देश्य निवेशकों के साथ सम्पूर्ण ज्ञान साझा करना और इसके साथ-साथ निवेश स्थल के रूप में भारत की क्षमता को प्रदर्शित करना है। विभिन्न कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए एक परियोजना निगरानी प्रकोष्ठ द्वारा भी समय-समय पर सहायता प्रदान की जाएगी।

इस परियोजना निगरानी के तहत अन्य उप-क्रियाकलाप निम्नलिखित हैं:-

- कार्यनीतिक निवेश अनुसंधान इकाई द्वारा निवेश संवर्धन परिवेश का गहन अनुसंधान और विश्लेषण करना
- राज्य निवेश संवर्धन एजेंसियों का क्षमता निर्माण
- परियोजना निगरानी प्रकोष्ठ द्वारा मेक इन इंडिया कार्य योजनाओं की निगरानी करना
- विभिन्न क्षेत्रों, राज्यों और देशों में डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सहायक गतिविधियों, संवर्धनात्मक पहलों तथा अन्य गतिविधियों की प्रगति की निगरानी करना।

4. विदेश यात्रा

निवेशकों के साथ बातचीत करने, निवेश संवर्धन और आउटरीच गतिविधियां शुरू करने तथा भारत में निवेश करने संबंधी उनकी चिंताओं को समझने के लिए यह प्रस्ताव किया गया है कि सरकारी अधिकारियों को आवश्यकतानुसार विदेश में आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के रूप में नियुक्त किया जाए।

सुमिता डावरा, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)
(INVESTMENT PROMOTION SECTION)

NOTIFICATION

New Delhi, 29th November, 2021

F. No. P-36017/256/2020-Investment Promotion.—The Central Government has approved for continuation of the Scheme for Investment Promotion (SIP), a Central Sector scheme, for the duration of five years (i.e., FY 2021-22 to 2025-26) with a financial outlay of INR 970 crores. The scheme comprises a number of components and activities for promotion of investment into the country; enhancing international co-operation for promoting FDI & capacity building.

Investment promotion is a multi-faceted strategic activity that pursues bringing investment opportunities to the existing & potential investors. It also accentuates the influx of capital, jobs, skills, technology, and increases

productivity and innovation for a country. To garner these benefits, investment promotion requires continuous efforts to be channelized around the main activities such as Foreign Direct Investment reforms, Ease of Doing Business reforms, Investment facilitation and Targeted outreach amongst other activities.

Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT) under the Ministry of Commerce & Industry has been entrusted with the task of attracting domestic and foreign investments in the country. To increase the investment inflow, the department has been undertaking various initiatives and reforms such as the launching of Make in India, supporting champion sectors and subsectors, setting up of an Empowered Group of Secretaries and Project Development Cells, creating a GIS based Industrial Information System and National Investment Clearance Cell amongst others. These activities are being supported under the "Scheme for Investment Promotion" launched vide OM No. I I(I)/2004-IP&IC-IV dated November 11th, 2008. The last implementation period of the scheme was from the FY 2017-18 to 2019-20.

As India aspires to be a USD 5 trillion economy by the Year 2025, schemes such as SIP hold a special significance in boosting the investment climate of the economy. The vision of the scheme enables creating an atmosphere in the country that would lead to both increased domestic and foreign direct investments. It will also enable the country to craft the 'Brand India' effectively. Apart from this, the scheme will empower the promotional events held domestically & abroad making sustained efforts towards overcoming procedural challenges in bringing investments. The scheme will also enable the department in providing hand-holding support to domestic and foreign business investors through focused workshops and training programs.

To sustain and take the momentum forward, it is important to continue with the activities under "Scheme for Investment Promotion" in a more focused and targeted manner thereby promoting Make in India and AatmaNirbhar Bharat. Given this, continuation of the "Scheme for Investment Promotion" from FY 2021-22 to 2025-26 has been approved with the following components:

- (i) Investor targeting & facilitation – Domestic & International activities
- (ii) Investment promotion - Amplification & outreach activities
- (iii) Project management activities
- (iv) Foreign Travel

1. Investor targeting & facilitation – Domestic & International activities

The provision of high-quality services to support investors throughout the investment life cycle is extremely important. Various services, such as, location analysis and identification, regulatory advisory, support regarding project approvals and clearances at Central and State level, amongst others, are provided to the new and prospective investors.

Other activities proposed under investor facilitation are –

- i. Focused investor targeting & country sector outreach
- ii. Organizing CEO Forums and Joint Commission meetings
- iii. Financial Investors Initiatives for attracting institutional investors
- iv. Support to Indian missions abroad for Market Entry Support Programme (MESP) under Make in India initiative
- v. Project Monitoring via PMG Invest India Cell
- vi. Investment Clearance Cell (*National Single Window System*)
- vii. Supporting Industrial Clusters (via Industrial Information System /Industrial Park Rating System)
- viii. Investment Facilitation for North-East India
- ix. Monitoring of FDI activities via FDI Monitoring Cell
- x. Monitoring and developing a pipeline of investible projects via Empowered Group of Secretaries and Project Development Cells
- xi. Regional ecosystem development via One District One Product
- xii. Supporting domestic investors via Domestic Investor Cell
- xiii. Listing of investible projects via India Investment Grid

2. Investment promotion - Amplification & outreach activities

To sustain and enhance the momentum towards making India the preferred investment destination and promoting “Brand India”, an inclusive approach is being followed to involve all the stakeholders involved in the investment facilitation process for international and domestic engagements. The objective of outreach activities is to position New India as a preferred investment destination for global investors.

Other sub-activities on the promotion front are –

- i. Executing branding and communication strategies for amplification & outreach
- ii. Support to Indian Missions abroad for investment promotion activities and Make in India initiative
- iii. Support to State Governments in their investment promotion activities
- iv. Support to industry associations for investment promotion activities

The guidelines for “Organization of business and investment promotion events” are available at www.dpiit.gov.in.

3. Project management activities

To enable effective management of the scheme, it is proposed to provide project management support along with the concurrent evaluation of the scheme. This will include capacity building by preparing industry/sectoral reports and preparation of concept papers for the innovative projects to attract investments. The intent here is to share the insights with the investors and showcase India’s strength as an investment destination simultaneously. Support will also be provided by a Project Monitoring Cell in monitoring the progress of various tasks from time to time.

Other sub-activities under project monitoring are –

- i. Undertaking in-depth research and analysis of the investment promotion ecosystem by Strategic Investment Research Unit
- ii. Capacity building of the State Investment Promotion Agencies
- iii. Monitoring of the Make in India action plans by Project Monitoring Cell
- iv. Monitoring the progress of facilitation activities, promotional initiatives and other activities across sectors, states and countries via digital platform.

4. Foreign Travel

To engage with the investors, undertake investment promotion and outreach activities, and understand their concerns about investing in India, it is proposed that Government officials may be deputed as official delegations abroad as per requirements.

SUMITA DAWRA, Addl. Secy.